



OFFICE OF THE CHIEF MANAGER
RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT CORPORATION,

Central bus stand , sindhi camp ,
Jaipur-302006

Email: - rsrtc.cmcbsjaipur@yahoo.com

No. 2106

Date: 27-11-2025

Corrigendum

केन्द्रीय बस स्टैण्ड सिंधी कैम्प जयपुर के ई-बोली आमंत्रण सूचना क्रमांक 2078 दिनांक 21.11.2025 जिसकी TENDER ID- 2025_RSRTC_514926_1 है, में केन्द्रीय बस स्टैण्ड सिंधी कैम्प जयपुर पर नवीन भवन (वर्तमान प्लेटफॉर्म नं. 01) के तलघर (बैसमेंट) एवं परिसर में स्थित पार्किंग हेतु अस्थाई रूप से लाईसेंसी नियुक्त किये जाने हेतु ई-बोली आमंत्रित की गई है। उक्त ई-बोली में पार्किंग दर हेतु शर्त संख्या 04, शर्त संख्या 35 एवं शर्त संख्या 38 निम्नानुसार है।

4. पार्किंग की दरें निम्न प्रकार होगी :-

क्र. सं.	किस्म वाहन	6 घन्टे तक	6 से 12 घन्टे तक	12 से 24 घन्टे तक	24 से 48 घन्टे तक	48 घन्टे के बाद प्रति 12 घन्टे पर अतिरिक्त निम्नानुसार रूपया वसूल किया जावेगा।
01	साईकिल	5 रूपये	10 रूपये	20 रूपये	40 रूपये	राशि 5 रूपये प्रति 12 घन्टे
02	स्कूटर/मोटर साईकिल/मोपेड आदि	10 रूपये	20 रूपये	30 रूपये	50 रूपये	राशि 10 रूपये प्रति 12 घन्टे
03	कार	20 रूपये	30 रूपये	50 रूपये	80 रूपये	राशि 20 रूपये प्रति 12 घन्टे

उक्त के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का व्यवसाय नहीं किया जा सकेगा अन्यथा लाईसेंस निरस्त करने का निगम को पूर्ण अधिकार होगा।

35. लाईसेन्सी एवं उसके कर्मचारियों द्वारा अधिक शुल्क वसूल किये जाने की शिकायत प्राप्त होने एवं यात्रीयों से अमर व्यवहार करने की शिकायत प्राप्त होती है तो प्रथम शिकायत सत्यापित पाये जाने पर राशि 1000 रूपये, द्वितीय शिकायत सत्यापित पाये जाने पर राशि 2000 रूपये एवं तृतीय, चतुर्थ व पंचम शिकायत सत्यापित पाये जाने पर राशि 5000/- रूपये शास्ति राशि वसूल की जावेगी। तथा इसके पश्चात् प्राप्त शिकायत सत्यापित पाये जाने पर अनुबन्ध समाप्ति के साथ सुरक्षा राशि जप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

38. बोलीदाता को सरकारी विभाग का निरन्तर तीन वर्षों का पार्किंग कार्य का अनुभव होना चाहिये एवं जहां पर उसके द्वारा पार्किंग का कार्य किया गया है उस संस्था/कम्पनी आदि के द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति, कार्यदेश, अनुबन्धों की प्रति एंव कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र भी संलग्न करना आवश्यक है। एवं किसी भी सरकारी विभाग से प्रतिबंधित (Black List) नहीं होना चाहिये साथ किसी भी प्रकार भुगतान बकाया नहीं होने चाहिये।

Rajesh

उक्त विवरण को निम्नानुसार पढा जावें।

4. पार्किंग की दरें निम्न प्रकार होगी :-

क्र. सं	किस्म वाहन	6 घन्टे तक	6 से 12 घन्टे तक	12 से 24 घन्टे तक	24 से 48 घन्टे तक	48 घन्टे के बाद प्रति 12 घन्टे पर अतिरिक्त निम्नानुसार रूपया वसूल किया जावेगा।
01	साईकिल	5 रूपये	10 रूपये	20 रूपये	40 रूपये	राशि 20 रूपये प्रति 12 घन्टे, मासिक पास राशि 300 रूपये
02	स्कूटर/मोटर साईकिल/मोपेड आदि	10 रूपये	20 रूपये	30 रूपये	50 रूपये	राशि 25 रूपये प्रति 12 घन्टे, मासिक पास राशि 600 रूपये
03	कार	20 रूपये	30 रूपये	50 रूपये	80 रूपये	राशि 40 रूपये प्रति 12 घन्टे, मासिक पास राशि 1200 रूपये

उक्त के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का व्यवसाय नहीं किया जा सकेगा अन्यथा लाईसेन्स निरस्त करने का निगम को पूर्ण अधिकार होगा।

35. लाईसेन्सी एवं उसके कर्मचारीयों द्वारा अधिक शुल्क वसूल किये जाने की शिकायत प्राप्त होने एवं यात्रीयों से अमद्र व्यवहार करने की शिकायत प्राप्त होती है तो प्रथम शिकायत सत्यापित पाये जाने पर राशि 2000/- रूपये, द्वितीय शिकायत सत्यापित पाये जाने पर राशि 5000/- रूपये एवं तृतीय, शिकायत सत्यापित पाये जाने पर राशि 10000/- रूपये शास्ति राशि वसूल की जावेगी। तथा इसके पश्चात् प्राप्त शिकायत सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात् सत्यापित पाये जाने पर अनुबन्ध समाप्ति के साथ सुरक्षा राशि जप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
38. बोलीदाता को सरकारी विभाग का एक वर्ष का पार्किंग कार्य का अनुभव होना चाहिये एवं जहां पर उसके द्वारा पार्किंग का कार्य किया गया है उस संस्था/कम्पनी आदि के द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति, कार्यादेश, अनुबन्धों की प्रति एंवम् कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र भी संलग्न करना आवश्यक है। एवं किसी भी सरकारी विभाग से प्रतिबंधित (Black List) नही होना चाहिये साथ किसी भी प्रकार भुगतान बकाया नही होने चाहिये।

उक्त के अतिरिक्त शर्त संख्या 43 निम्नानुसार जोड़ी जाती है।

43. यदि किसी यात्री/ आगन्तुक द्वारा वाहन नो पार्किंग जोन/ निर्धारित पार्किंग स्थल के अतिरिक्त अन्य स्थान पर वाहन खड़ा किया जाता है। ऐसी स्थिति में लाईसेन्सी सर्वप्रथम ऐसी स्थान पर खड़े वाहन की फोटो प्रमाण साक्ष्य के रूप में लेने के पश्चात् ही नो पार्किंग संबंधी जुर्माना वसूला जायेगा। जोकि पार्किंग शुल्क राशि की दोगुनी राशि तक वसूल कर सकता है। जुर्माना वसूलते समय संबंधित को उक्त साक्ष्य दिखाया जाना आवश्यक एवं एक माह तक उक्त प्रकार से लिये गये चित्रों को रखा जाना आवश्यक होगा।


मुख्य प्रबंधक
सी.बी.एस. आगार जयपुर।